UPM0280025652026

न्यायालय अपर मु ख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

(पीठासीन अधिकारी- सर्वेश कुमार मिश्र-उ **0** प्र **0** न्यायिक सेवा **2073)**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **-173/2026**

दिनांकः **30.06.2026**

अभियुक्त/प्रार्थी **ओमेन्द्र** द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु0 अ 0 सं0–237/2026 धारा 160(2)रेल अधिनियम थाना आर.पी.एफ.पोस्ट रामपुर में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी को उक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया। अभियुक्त द्वारा जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

प्रार्थना पत्र एवं थानाख्या का अवलोकन किया गया। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। संबंधित थाने से प्राप्त आख्यानुसार अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में बी.एन.एस.एस की धारा 35(3) का नोटिस देकर जांच शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त प्रस्तुत मामले में विश्वसनीय प्रतिभू देने के लिए तैयार है। अभियुक्त अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

मु०अ०सं०–237/2026 धारा 160(2)रेल अधिनियम थाना आर.पी.एफ.पोस्ट रामपुर में अभियुक्त/प्रार्थी **ओमेन्द्र** द्वारा मुव० 20000/–रुपए की धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किया जाए।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद
JO CODE UP2073

आशुलिपिकः हरगोविन्द सिंह।
हस्ताक्षर